लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./अ.पे.यो./बी/1013/ 2011/ भोपाल, दिनांक 2-12-11

प्रति,

1. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषय : अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने विषयक।

विषयांकित संबंध में अध्यापक संवर्ग हेतु लागू की गयी अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन विषयक कुछ बिन्दुओं पर जिलों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1 माह अक्टूबर 2011 की स्थिति में पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर 9910 अध्यापकों को प्रोव्हिजनल प्रान आवंटित किया जाकर पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिनको प्रान संख्या पूर्व में आवंटित नही था। डी. डी. ओ. अपने अकाउंट से लागइन करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।

2 अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत प्रान आवंटन हेतु पोर्टल पर भरें हुए फार्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है, संविदा शाला शिक्षक का संविलियन अध्यापक संवर्ग में होने की स्थिति में डी.डी.ओ. की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित संविदा शाला शिक्षक का पदनाम पोर्टल पर तत्काल परिवर्तित करें, तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी उसे सत्यापित करेंगे।

3 अंशदायी पेंशन योजना के लिये अधिकृत ऐजेंसी एन.एस.डी.एल, मुबई द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) से यह निर्देश प्राप्त हुए है कि अब भविष्य में साफटकापी से प्रोव्हिजनल प्रान आवंटिन नही किये जा सकेंगे। यदि किसी अध्यापक संवर्गीय कर्मचारी को प्रान आवंटित नही है, तो वे अपना फार्म भरकर डी.डी.ओ. एवं जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करा कर तत्काल संचालनालय में उपलब्ध कराएं। फार्म उपलब्ध कराने के पश्चात ही संबंधितों को प्रान उपलब्ध कराएं जाने संबंधी कार्यवाही की जा सकगी।

4 प्रान कार्ड में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में संबंधित अध्यापक को एन.एस.डी.एल. द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात ही प्रान कार्ड में किसी प्रकार का वांछित संशोधन किया जा सकेगा।

5 जिन अध्यापकों के प्रान संख्या आवंटित नही है, उनके वेतन से अंशदान का कटोत्रा नही किया जाएं। संबंधित अध्यापक को प्रान संख्या के आवंटन के उपरांत ही अंशदान का कटोत्रा किया जाएं।

निरन्तर-2

6 प्रत्येक माह में एन.एस.डी.एल. को संबंधित के एवं शासन के अंशदान का अंतरण पोर्टल से आगामी माह में रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है। अतएव सभी डी.डी.ओ. यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र की प्रत्येक संस्थाओं के सभी वेतन देयक पोर्टल पर यथा समय तैयार कर लाक किये जाएं एवं लाक करने के पश्चात पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टियां जैसे बी.टी.आर. नंबर, चेक नंबर इत्यादि प्रविष्ट करें।

7 प्रान आवंटन के अभाव में किसी भी अध्यापक संवर्गीय कर्मचारी का वेतन भुगतान नही रोका जाएं। संबंधित को नियमित रुप से वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

8 ऐसे अध्यापक संवर्गीय कर्मचारी जो अन्य शासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, उनके अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि को इस योजना हेतु राज्य स्तर पर खोले गये पृथक बैंक खाते में नियमित रूप से जमॉ कराया जाना सुनिश्चित करें। बैंक खाते का विवरण इस प्रकार है:

बैंक का नाम	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, अरेरा कालोनी, भोपाल
खाता नंबर	4 5 1 7 0 2 0 1 1 0 0 9 3 8 7
आई.एफ.एस.सी. कोड	UBIN0545171

उक्त राशि का अंतरण इलेक्टानिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (ECS) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। साथ उन अध्यापक संवर्गीय कर्मचारियों के अंशदान की जानकारी एन.एस.डी. एल. द्वारा निर्दिष्ट प्रोफार्मे में भरकर ऐक्सेल फाईल में ईमेल / सी.डी. / पेन ड्राईव में उपलब्ध कराया जाना होगा ताकि इनके अंशदान को एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके। एन.एस.डी.एल. द्वारा उपलब्ध कराएं गये अंशदान विवरण संबंधी प्रपत्र का प्रारुप निम्नानुसार है:

Sr. No.	DDO Registration number issued by CRA	PRAN No	Name of the Adhyapak	Government Contribution	Subscriber Contribution	Pay Month	Pay Year	Contribution Type (Arrears / Regular)	Remarks

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./अ.पे.यो./बी/1014/ 2011/ भोपाल, दिनांक 9-12-11

प्रतिलिपिः

1 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश